कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता,
ड्रेनेज मण्डल, अलीगढ़
अल्पकालीन निविदा सूचनाः–06/एस0ई0/2016–2017

महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की ओर से निम्नलिखित कार्यों हेतु प्री–क्वालीफिकेशन/टेकनीकल बिड सिंचाई विभाग में वर्गीकृत श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदारो से दिनांक 16.01.2017 को अपरान्ह 02.00 बजे तक कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता ड्रेनेज मण्डल, अलीगढ़ में आमंत्रित की जाती है। कार्यालय बन्द होने अथवा छुट्टी होने की दशा में यह बिड अगले कार्य दिवस में उसी समय खोली जायेंगी। प्री–क्वालीफिकेशन बिड में क्वालीफाइड घोषित ठेकेदारों की सूची दिनांक 16.01.2017 को अपरान्ह 4.00 बजे कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जायेगी। तदोपरान्त केवल क्वालीफाइड घोषित ठेकेदारों से ही फाइनेन्शियल बिड दिनांक 17.01.2017 को अपरान्ह 3.00 बजे तक प्राप्त की जायेगी, जो उसी दिन दिनांक 17.01.2017 को 3.30 बजे मुख्य अभियन्ता द्वारा गठित समिति द्वारा खोली जायेगी। कार्यालय बन्द अथवा छुट्टी होने के दशा में यह बिड अगले कार्य दिवस में उसी समय खोली जायेंगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 09.01.2017 से 13.01.2017 तक किसी कार्य दिवस में समय 11.00 बजे से 4.00 बजे के मध्य अधीक्षण अभियन्ता, ड्रेनेज मण्डल अलीगढ़/अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, मथुरा/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, फिरोजाबाद/अधिशासी अभियन्ता, बुलन्दशहर खण्ड गंगा नहर बुलन्दशहर/ अधिशासी अभियन्ता, अलीगढ खण्ड गंगा नहर, अलीगढ के कार्यालय से निर्धारित मूल्य देकर प्राप्त की जा सकेगी।

प्री–क्वालीफिकेशन/टैक्नीकल बिड आमंत्रित करने का स्थान/ प्री–क्वालीफिकेशन बिड में क्वालीफाईड घोषित ठेकेदारो की सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने का स्थान तथा फाइनेन्शिल बिड डाले जाने एवं खुलने का स्थान कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता ड्रेनेज मण्डल, अलीगढ होगा।

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	प्रतिभूति धनराशि (लाख रु0 में)	कार्य को पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य स्टेशनरी चार्ज एवं वैट सहित (रु0 में)	पंजीकृत श्रेणी	कार्य से सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता
1.	रजावली माइनर के कि0मी0 0.00 से 6.480 तक कक्रीट लाईनिंग का कार्य	रू0 6.40	02 माह	300+500+ 14.00 % वैट	'ए' अथवा इससे उच्च	सिंचाई खण्ड, फिरोजाबाद

नियम एवं शर्तेः–

1. कार्यो को समयबद्व रूप से निर्धारित अवधि में पूर्ण किया जाना अनिवार्य है। कार्यो की प्रगति मानक से कम होने पर विभाग एक नोटिस देकर अन्य कार्य संस्था से कार्य को डेबिटेवल रूप से पूर्ण कराने तथा अनुबन्ध निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी को है। इसके लिए ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
2. प्रत्येक निविदादाता को रु0 100.00 के नान–जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक रुपये का रसीदी टिकट लगाकर अनुबन्ध लिखना होगा कि दरें 90 दिवस तक मान्य होंगी। इसके पहले निविदा/आफर वापस लेने पर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। ठेकेदार को नियमानुसार देय बिक्री कर, आयकर, स्टैम्प ड्यूटी, रायल्टी एवं श्रम उपकर देना होगा। अनुबन्ध के समय नियमानुसार स्टैम्प ड्यूटी तथा जमानत की अवशेष धनराशि भी जमा करनी होगी।
3. यह निविदा सूचना सिंचाई विभाग की वेबसाइट (www.idup.gov.in) पर उपलब्ध है। इसकी लागत रू0 800+ 14.00 % वैट सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के नाम राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में टैक्नीकल बिड के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। ड्राईगं उपलब्ध न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में देख सकेगें।
4. प्री–क्वालिफिकेशन/टेकनीकल बिड में निम्न प्रमाण–पत्र तथा अन्य डेक्यूमेन्ट मूल रूप में एवं एक छाया प्रति सहित जमा करने होंगे।
   - i) सिंचाई विभाग की निर्धारित श्रेणी में पंजीकरण प्रमाण–पत्र।
   - ii) जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र (IDT-1)।
   - iii) जिलाधिकारी द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण–पत्र (IDT-2)।
   - iv) रू0 100 के स्टाम्प पेपर पर स्वघोषणा पत्र (IDT-3) फोटो सहित,निविदा सूचना की तिथि के बाद की तिथि का मूल रूप में।

क्रमशः 2

v) गत पांच वित्तीय वर्षो में किसी एक वित्तीय वर्ष में वार्षिक टर्नओवर रू0 50 करोड अथवा इससे अधिक का अधिकृत चार्टड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित बैलेन्सशीट मूलरूप में।

vi) विगत 05 वित्तीय वर्षों मे किसी एक वित्तीय वर्ष में समान प्रकृति(सी0सी0लाईनिंग) रू0 2.00 करोड़ अथवा दो अलग–अलग उल्लिखित प्रकृति के कार्यो की सम्मिलित लागत प्रत्येक रू0 1.00 करोड़ निर्माण कार्यो का राजकीय विभाग द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र अनुबन्धकर्ता अधिकारी द्वारा विधिवत निर्गत होना अनिवार्य है।

6. निविदा दाता द्वारा विभागीय लागत से कम लागत की निविदा की दशा में शासनादेश सं0–622 / 23.12.2012–2 ऑडिट / 08 टीसी–2, दिनांक 08.06.12 के अनुसार 10 प्रतिशत तक बिलों दरें **(Below Rates)** पर 0.50 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर अथवा 10 प्रतिशत से अधिक कम दरों पर 1.00 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर प्रफोर्मेन्स गारन्टी की अतिरिक्त धरोहर धनराशि जमा कराने के उपरान्त अनुबन्ध गठित किया जायेगा। निविदा दाता द्वारा उक्त धनराशि जमा न किये जाने पर उसकी धरोहर जब्त कर ली जायेगी।

7. निविदा / बिड की विस्तृत शर्ते निविदा / बिड प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध होंगी।
धरोहर धनराशि एन0एस0सी0 / एफ0डी0आर, राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा नियमानुसार अनुमन्य अन्य प्रतिभूति के रूप में सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के पक्ष में बन्धक होनी चाहिए।

8. कार्य स्थल की आवश्यकतानुसार कार्य की मात्रा घटाई / बढायी ज़ा सकती है। जिसके लिए ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

9. निविदा दातो को उपरोक्तानुसार निविदा / बिड के विभिन्न चरणों की तिथियों तथा समायावधि / स्थल की पूर्ण जानकारी निविदा डालने से पूर्व स्वंय प्राप्त करनी होगी। कोई भी जानकारी सम्बन्धित कार्यालय से कार्य दिवसों में प्राप्त की जा सकती है।

10. निविदा दाता / बिल्डर द्वारा निविदा डालते समय प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी अथवा अन्य किसी कारण से शर्तो को पूर्ण न कर पाने / बाधित हो जाने के कारण निविदा न पडने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

11. इस निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार बिना कारण बताये अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

12. यह संज्ञान में आने पर कि किसी निविदा दाता द्वारा किसी अन्य सम्भावित निविदा दातो को इस निविदा प्रक्रिया में भाग लेने एवं निविदा डालने से रोका गया हो या धमकी दी गयी हो। तो ऐसे ठेकेदार के साथ यदि अनुबन्ध भी हो गया हो तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।

13. कोई निविदा दाता जो राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज हो वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगा।

14. राज्य बार कौंसिल मे पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता निविदा प्रक्रिया में भाग न ले सकेंगे।

15. एक निविदादाता केवल एक ही निविदा डाल सकेगा।

16. यदि कोई भी निविदादाता निर्धारित विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध अनुबन्ध करने हेतु सक्षम प्राधिकारी पर दबाव / असम्यक असर डालता है, तो प्रश्नगत निविदादाता के न्यूनतम निविदा की स्थिति में भी उसकी निविदा निरस्त की जा सकती है।

17. विशिष्ट परिस्थितियों मे निविदा खोलने की तिथि / समय में यदि कोई परिवर्तन होता है,तो इसकी सूचना नोटिस बोर्ड के माध्यम से उपलब्ध करा दी जायेगी।

18. क्वालीफाईड घोषित निविदादाताओं से प्राप्त सभी निविदा प्रपत्रों का पहले यह निरीक्षण किया जायेगा, कि निविदादाता ने निर्धारित प्रतिभूति धनराशि ठीक– ठीक उपलब्ध कराये है या नहीं इसमें किसी भी प्रकार की कमी होने की स्थिति में निविदादाता द्वारा दी गयी दरें तुलनात्मक विवरण में अंकित नहीं की जायेगी।

19. अनुबन्ध गठित होने के पश्चात भी यदि यह तथ्य संज्ञान में आता है, कि किसी भी शर्त का उल्लघन किया गया है ,तो ऐसे अनुबन्ध को सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर निरस्त किया जायेगा।

20. परियोजना पर धनावंटन के उपरान्त ही निविदा पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। निविदा धनावंटन की प्रत्याशा में निकाली जा रही है। आवंटित धनराशि के सापेक्ष ही कार्य सम्पादित कराया जायेगा यदि किसी कारणवश धनावंटन कम प्राप्त होता है तो अनुबन्ध उसी स्तर पर समाप्त कर दिया जायेगा एवं बीच में अनुबन्ध समाप्त होने पर किसी भी प्रकार का कोई क्लेम स्वीकार नहीं होगा।

नोट :– 1. टेक्नीकल बिड के साथ धरोहर धनराशि संलग्न की जाये।
2. कार्य वास्तविक धन उपलब्धता के अनुसार कराया जायेगा। यदि कम धन प्राप्त होता है, तो अनुबन्ध बीच में ही समाप्त कर दिया जायेगा। किसी प्रकार का कोई क्लेम स्वीकार नहीं होगा।

अधीक्षण अभियन्ता
ड्रेनेज मण्डल, अलीगढ़

.